वार्षिक लेखे
2011–12
एवं
पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
2011–12

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (ए.यू.डी.)

वार्षिक लेखे

2011–12

एवं

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2011–12

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2012 को भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली" के तुलनपत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसके साथ संलग्न आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान की लेखापरीक्षा की । जो उक्त संस्थान द्वारा अनुरक्षित खाता बही से मेल खाती है।

2. हमने सभी जानकारियां एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनों हेतु मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे । मेरी राय में खाता बही उलिलखित संस्थान द्वारा रखी गई है जहां तक बही खाता की जांच से प्रतीत होता है ।

3. **आगे हम सूचित करते हैं कि :**

3.1 रु.31110545.00 की धनराशि का ऋण एवं अग्रिम का द्वारका एवं काश्मीरी गेट परिसर में ए.सी. की संस्थापना एवं मरम्मत तथा नवीकरण हेतु पी.डब्ल्यु.डी. को अग्रिम के रूप में भुगतान किया है। उक्त में पिछले वर्ष भुगतान किए गए रु.25310770.00 की धनराशि भी शामिल हैं । उपलब्ध जानकारी एवं विवरण के अनुसार द्वारका परिसर में एयर कंडीशन्स पिछले वर्ष संस्थापित किए गए थे और मरम्मत नवीकरण कार्य का कुछ हिस्सा काश्मीरी गेट स्थिति परिसर में भी किया गया है । पिछले वर्ष और चालू वर्ष में पी.डब्ल्यु.डी. द्वारा किए गए कार्य की देयता का अभिनिश्चय नहीं है और आ.ए. बिलों की जमा न किए जाने कारण अग्रिम के रूप में अभी तक प्रतीत होता है । उक्त को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों की धनराशि की अत्युक्ति(ओवरस्टेटेड) हुई है ओर देयता की न्यूनोक्ति हुई है, जिसकी मात्रा का अभिनिश्चिय नहीं है ।

3.2 वर्ष के दौरान प्रोफेशनल प्राप्ति रु.1712396.00 है रु.1456844 एवं रु.255552.00 एसईआरपी एवं सीएआरई द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और अनुबंध के अनुसार धनराशि को अध्ययन हेतु प्रोफेशनल प्रभारों के रूप में उपलब्ध है जहाँ विश्वविद्यालय ने उपदान के रूप में धनराशि माना हैं । विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृति लेखांकन ट्रीटमेंट अनुचित है और अनुबंध की शर्तों के संगत नहीं है । आगे जब एसईआरपी द्वारा उक्त को प्रोफेशनल प्रभार मानते हुए किए गए भुगतान पर स्रोत पर कर के रूप कटौती भी की है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा हिसाब में नहीं लिया है । उक्त के परिणामस्वरूप वसूलीयोग्य धनराशि तथा प्रोफेशनल प्राप्तियों की न्यूनोक्ति हुई है । मेरा राय में विश्वविद्यालय संग्रह करने और दी गई सेवाओं पर सेवाकर धनराशि का प्रेषण करने के लिए जिम्मेदार है । सेवाकर, ब्याज और दंड के कारण देयता का पता नहीं लगाया गया है और मेरी राय में अनुबंध की शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय ने उक्त संगठनों को प्रोफेशनल सेवा प्रदान की है जो संग्रह करने एवं उसे उचित प्राधिकरण के लिए सेवाकर का प्रेषण करने के लिए जिम्मेदार है ।

3.3 कर और कर के विलंब से प्रेषण पर गैर/कम कटौती के कारण देयता अनिश्चित नहीं की गई है और विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

3.4 **कर्मचारी लाभ** : आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 'कर्मचारी लाभों' के विपरीत हैं निम्नलिखित देयताओं का पता नहीं लगाया गया है और प्रदान किया गया है ।

- वर्ष के दौरान और पिछले वर्ष में विश्वविद्यालय लियन पर रहने वाले कर्मचारियों का वेतन से पेन्शन अंशदान की कटौती की है । इस संबंध में कुछ कर्मचारियों की धनराशि की नियोक्ता के अंशदान की कटौती की गई और छुट्टी नकदीकरण की धनराशि का प्रेषण विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारी से संबधित मूल संगठन को नहीं किया गया है ।
- 'नयी पेन्शन योजना'(एन.पी.एस.) पर वर्ष एवं पिछले वर्ष के दौरान कटौती किए गए नियोक्ता एवं कर्मचारी के अंशदान संबंधी उचित अनुदेशों के अभाव में उचित प्राधिकारियों को धन प्रेषण नहीं किया गया और धनराशि को बैंक के एफडीआर/अलग बैंक खाता में रखा है । ब्याज/दंड के मामले में देयताओं का यदि कोई हों कोई नहीं, धनराशि के गैर/विलंब धन प्रेषण हेतु पता नहीं लगाया गया और उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

3.5 कुछ कर्मचारी तथा अन्य हेतु अग्रिम समाधान के अधीन है और अपुष्ट हैं, विश्वविद्यालय की आय और चालू परिसंपत्तियों पर उसका प्रासंगिक प्रभाव का पता नहीं लगा है।

मेरी राय में उक्त पैरा-3.1 से 3.5 के अधीन है और मुझे दी गई सवोत्तम जानकारी, उक्त लेखा सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है ।

i) 31/03/2012 को उल्लिखित संस्थान के के स्टेट ऑफ अफेयर्स के तुलन पत्र के मामले में और

ii) 31/03/2012 को को समाप्त वर्ष के लिए इसके लेखांकरण के लाभ अथवा हानि के आय एवं व्यय लेखा के मामले में।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 10/07/2012

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

डॉ. बी.आर. अंबेडकर दिल्ली विश्वविद्यालय
प्रबंधन हेतु प्रतिवेदन
<u>वर्ष 2011-12</u>

1. द्वारका एवं कश्मीरी गेट कैम्पस क्रमशः के लिए ए.सी. स्थापित करने तथा मरम्मत एवं पुनरूद्धार कार्य हेतु के.लो.नि.वि. को ऋण एवं अग्रिम सहित रुपये 31110545.00 का भुगतान किया गया। जिसमें रुपये 25310770.00 का भुगतान पिछले वर्ष ही किया गया था। उपलब्ध जानकारी एवं ब्यौरे के अनुसार द्वारका कैम्पस में पिछले वर्ष ए.सी. लगाये गये थे तथा मरम्मत एवं रखरखाव कार्य कश्मीरी गेट परिसर में भी किया गया है। पिछले वर्ष और चालू वर्ष में के.लो.नि.वि. द्वारा कार्यान्वित कार्य हेतु आर.ए. लिबों को जमा न करने के कारण देयताओं का निर्धारण एवं प्रावधान नहीं किया गया है तथा संबंधित धनराशि अभी भी अग्रिम राशि के तौर पर दर्ज है। देय अग्रिम राशि हेतु आवश्यक सेवाओं को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वस्तुतः प्रदान कर दिया गया है और ए.यू.डी. भी प्रदत्त सेवाओं का उपयोग कर रहा है। देय राशि को अग्रिम राशि के तौर पर दर्ज करना क्या उपयुक्त है। उपर्युक्त के दृष्टिगत अग्रिम राशि अधिक है तथा देयताएं एवं व्यय कम है जिससे राशि निर्धारित नहीं की गयी।

2. व्यावसायिक प्राप्तियों में रुपये 1712396.00 की कमी हुई है। वर्ष के दौरान रुपये 1456844 एवं रुपये 255552.00 की राशि एसईआरपी और सीएआरई क्रमशः द्वारा प्रदान किया गया है तथा समझौते की शर्तों के अनुसार उक्त धनराशि अध्ययन करने हेतु व्यावसायिक शुल्क के तौर पर दी गयी है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान राशि के तौर पर मानता है। विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया गया लेखा व्यवहार अनुपयुक्त और संविदा शर्तो के प्रतिकूल है। पुनः एसईआरपी का भुगतान करते समय स्रोत पर भी व्यावसायिक शुल्क के तौर पर कर की कटौती की गयी है जिसे विश्वविद्यालय ने लेखा में शामिल नहीं किया है। जिसके परिणाम स्वरूप उपर्युक्त राशि को वसूलीयोग्य और व्यावसायिक प्राप्तियों से कमतर माना है। हमारे विचार से विश्वविद्यालय प्रदत्त सेवा पर लगे सेवाकर की राशि को संग्रह और प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी है। समझौता शर्तों के अनुसार हमारे विचार से सेवाकर, ब्याज और उसपर अर्थदंड हेतु देयताएं निर्धारित और प्रदान नही की गयी है विश्वविद्यालय ने उपरोक्त संगठनों को व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की है जो उपयुक्त प्राधिकारियों से सेवाकर का संग्रह और प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है।

3. प्राप्तयोग्य टी.डी.एस रु.42326.00 - यह पाया गया है कि उपर्युक्त राशि पिछले वर्ष से बकाया है। यह निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा कि उपर्युक्त टीडीएस राशि के रिफंड हेतु दावा विश्वविद्यालय द्वारा आयकर प्राधिकारियों के समक्ष आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है चूंकि विश्वविद्यालय को आयकर से छूट प्राप्त प्रदान की गयी है अतः विश्वविद्यालय को न तो आयकर रिटर्न दाखिल करना है और न ही पैन कार्ड नं. रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह भी पाया है कि चालू वर्ष के दौरान भी देय व्यावसायिक प्रभार पर एसईआरपी द्वारा टीडीएस की कटौती की गयी है। तत्काल आयकर प्राधिकारियों से रिफंड दावे हेतु कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

4. आयकर अधिनियम के अध्याय-XII बी के तहत विश्वविद्यालय को विभिन्न व्यय शीर्षों के अंतर्गत भुगतान करने या प्रावधान करने पर उसके स्रोत पर आय की कटौती करना आवश्यक है। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान हमने यह पाया है कि कर के गैर अथवा कम कटौती के कारण कई विसंगतियां पायी गयी हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त कर राशि के विलंब से भुगतान (अर्थात् आयकर अधिनियम में निर्धारित तिथि के बाद) भी पाया गया है। कर के गैर भुगतान अथवा कम कटौती और विलंब शुल्क की कटौती का उदाहरण नीचे दिया गया है: -

क्र.स.	पार्टी का नाम	धनराशि (रुपए में)	धारा के तहत	टिप्पणियां
1.	निधि कच्छर	40000	194जे	अतिथि संकाय को भुगतान
2.	ए.आर.खान	32000	194जे	अतिथि संकाय को भुगतान
3.	प्रो. अरि सिता	78585	194जे	सुमंगला दामोदरन को अग्रिम धनराशि के माध्यम से मानदेय का भुगतान दिनांक 22.11.2011 चैक न.51649
4.	आहुजा एक्सपोजिशन कंपनी	90000	194सी	रु. 50000 की राशि नये छात्रों के स्वागत पार्टी के लिए चैक नं.512865 दिनांक 13.09.2011 के माध्यम से स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज को अग्रिम तौर पर दिया गया था। रु.50000 की अग्रिम राशि के विरूद्ध रु.90000 व्यय हुआ। कैटरिंग सह मंडप रखरखाव सेवाओं (अर्थात कुर्सी, टेंट आदि की व्यवस्था हेतु)

				हेतु स्कूल ऑफ डवलपमेंट स्टडीज द्वारा मैसर्स आहुजा एक्सपोजिशन कंपनी को कुल रु. 90000 की राशि भुततान की गयी। हमने पाया है कि उक्त भुगतान पर टीडीएस की कटौती नही की गयी। इसके अतिरिक्त जारी किये जाने वाले अग्रिम राशि के दुगने के लगभग राशि का व्यय होना आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कमजोर होने का साक्ष्य है।
5.	सिब्बल कम्प्यूर वर्ल्ड	39000	194जे	सीईसीईडी द्वारा वीडियों संपादन और स्क्रिप्टिंग का व्यय। जिसमें किसी प्रकार की टीडीएस की कटौती नही की गयी।
6.	बोध शिक्षा समिति	30000	194जे	दिनांक 30.11.2011 को परामर्श से संबंधित व्यय। इस भुगतान पर किसी प्रकार की टीडीएस कटौती नही की गयी।
7.	किराए पर वाहन(बुक एंट्री 31.03.2012)	251983	194सी	दिनांक 31.03.2012 को संकाय द्वारा बुक वाहन पर कोई डीएस कटौती नही की गयी।
8.	स्वच्छता (बुक एंट्री-31.03.2012)	1135000	194सी	दिनांक 31.03.2012 को देयता के तौर पर बुक । कोई डीएस कटौती नही की गयी।
9.	सुरक्षा (बुक एंट्री-31.03.2012)	518059	194सी	दिनांक 31.03.2012 को देयता के तौर पर बुक । कोई डीएस कटौती नही की गयी।
10.	कैपिटल मार्केट पब्लिशर्स	110300	194जे	एसबीपीपीएसई हेतु नये डाटाबेस की सदस्यता हेतु।

कर्मचारी लाभ : आईसीएआर द्वारा जारी लेखा मानकों के विरूद्ध-15 "कर्मचारियों लाभ " के तहत निम्नलिखित देयताएं विनिर्दिष्ट और प्रदान नही की गयी है।

चालू वर्ष और पिछले वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारी पेंशन अंशदन की कटौती की है। कटौती राशि के साथ नियोक्ता के अंशदान और अवकाश

नकदीकरण की राशि को विश्वविद्यालय ने संबंधित संगठनों के कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की।

उक्त राशि को जमा न करने पर उस पर अर्जित ब्याज एवं अर्थदंड यदि कोई हो, हेतु देयताओं का निर्धारण और प्रावधान नहीं किया गया है। उपयुक्त दिशानिर्देशों के अभाव में नयी पेन्शन योजना (एन.पी.एस.) के चालू वर्ष एवं विगत वर्ष के दौरान नियोक्ता और कर्मचारी के अंशदान की कटौती को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जमा नहीं किया और उक्त राशि को बैंक एफडीआर अथवा पृथक बैंक खाते में रखा गया है। उक्त राशि को जमा न करने पर उस पर अर्जित ब्याज एवं अर्थदंड यदि कोई हो, हेतु देयताओं का निर्धारण और प्रावधान नहीं किया गया है।

6. अभिलेखों का रखरखाव एवं संरक्षण:

सत्यापन कार्य के दौरान हमने पाया है कि बहियों एवं अभिलेखों का रखरखाव में कुछ विसंगति पायी गयी है। विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है:-

(क) यह पाया गया है कि प्रपत्र, बुलेटनों और निविदा फार्मों की बिक्री हेतु प्राप्तियों के रिकार्ड को प्राप्त करते समय विधिवत ढंग से और नियमित तौर पर तैयार नही किया गया।

(ख) हाथ में दैनिक रोकड़ के शेष का निर्धारण फुटकर रोकड़ बही में नहीं रखा गया है।

(ग) स्थायी परिसम्पत्तियों के अभिलेख को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में और सुधार करने की जरूरत है। वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

(घ) भुगतान रजिस्टर या वेतन अभिलेखों को कर्मचारी अनुसार वेतन अभिलेख तैयार नही किया गया है।

(ङ) भंडारण पुस्तिका, विविध प्रपत्रों, प्रकाशनों और बुलेटनों

(च) निविदा फार्म हेतु भंडारण पुस्तिका

(छ) प्राप्तयोग्य एवं देय प्रतिभूति के वर्गीकरण के लिए प्रतिभूति राशि से संबंधित सहायक अभिलेखों के रखरखाव में सुधार करने की आवश्यकता है।

7. कर्मचारियों को अग्रिम:

दिनांक 31.03.2012 के अनुसार रु.26260.00 की राशि कर्मचारियों को देने हेतु अग्रिम राशि लंबित है- इस संबंध में हमारा मत निम्नानुसार है:-

7.1 संबंधित कर्मचारियों जिन्होने 31.03.2012 तक अग्रिम राशि प्राप्ति की है से शेष राशि का आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ है।

7.2 हमारा विश्लेषण है कि गैर समायोजित अग्रिम राशि का बकाया नीचे दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न मामलों में लंबी अवधि से लंबित है। वर्ष 2011-12 से संबंधित समायोजन रसीद या व्यय तथा अप्रयुक्त अग्रिम राशि का विवरण जमा न करने के कारण कर्मचारियों अर्जित अग्रिम राशि निर्धारण योग्य नहीं है। विश्विद्यालय के आय पर इसका दुश्प्रभाव अनिश्चित है।

क्रमांक	अग्रिम धनराशि लेने की तिथि	कर्मचारी का नाम	धनराशि
1.	04.05.2011	अंशुमित्रा पांडेय	30000.00
2.	06.05.2011	अशोक नागपाल	7500.00
3.	10.05.2011	अरुणा कुमार मन्दोटिका	10000.00
4.	17.08.2011	अशोक नागपाल	80000.00
		महा योग	27500.00

हमारी राय में अग्रिम हेतु प्रक्रिया एवं व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और निम्नलिखित उपायों को अपनाने की जरूरत है:-

- पहले अग्रिम(अपवादात्मक परिस्थितयों के अलावा) के समायोजन से पूर्व कोई अगली अग्रिम/दूसरी अग्रिम धनराशि नहीं दी जानी चाहिए।
- अग्रिम के माध्यम से नकद में खर्च करने हेतु एक सीमा होनी चाहिए ।
- आवश्यक आधार पर अनुमानित बजट के आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए ।
- अग्रिम राशि के समायोजन के लिए विशिष्ट समय अवधि का होना आवश्यक है । बड़ी संख्या में मामलों में पर्याप्त देरी देखी गई है ।

7.3 कर्मचारियों द्वारा लिये गये अग्रिम के समायोजन में विलम्ब के कई मामले पाये गये है जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है -

क्र.स.	अग्रिम जारी करने की तिथि	धनराशि	नाम	समायोजन की तिथि	दिन
1.	03.05.2011	100000	व्रिक मित्रा	23.02.2012	296
2.	03.0.5.2011	100000	अंशुमिता पांडेय	23.02.2012	296
3.	29.08.2011	33000	डॉ. रोहित नेगी	09.01.2012	133
4.	04.04.2011	75000	डॉ. अरुण कुमार मोनदोतिका	11.08.2011	129
5.	05.04.2011	41500	डॉ. अरुण कुमार मोनदोतिका	11.08.2011	128
6.	10.05.2011	26500	डॉ.रोहित नेगी	12.09.2011	125
7.	10.05.2011	30000	शुभ्रा नागालिया	21.09.2011	125
8.	02.09.2011	70000	राजेंद्र प्रकाश	15.12.2011	104
9.	02.09.2011	50000	मिता सिंहा	02.12.2011	91
10.	21.10.2011	20000	एम.आर. कपूर	19.01.2012	90
11.	27.07.2011	10000	सीता राम शर्मा	24.10.2011	89
12.	29.07.2011	10000	सीता राम शर्मा	24.10.2011	89
13.	05.04.2011	100000	डीन एसएचएस	17.06.2011	73
14.	01.05.2011	25000	पूर्वा थाधा	13.07.2011	71
15.	20.09.2011	10000	लक्ष्मी कांत	29.11.2011	70
16.	03.05.2011	25000	स्वाती बावा	11.07.2011	69
17.	18.10.2011	10000	सीता राम शर्मा	26.12.2012	69
18.	22.06.2011	50000	मीटिंग बीओएम	29.08.2011	68
19.	04.08.2011	40000	सतीश सिंह	10.10.2011	67
20.	13.04.2011	209250	विनीता कौल	15.06.2011	63
21.	10.10.2011	4000	लक्ष्मी कांत	12.12.2011	63

हमने पाया है कि वर्ष 2010-11 से संबंधित कुछ अग्रिम राशि को एक वर्ष से अधिक वर्ष के बाद समायोजित किये गये जो निम्नलिखित हैः

क्र.स.	समायोजन की तिथि	नाम	अग्रिम धनराशि	समायोजित धनराशि	प्रतिदेय
1.	14.03.2012	अशोक नागपाल	20000	7090	12910
2.	14.03.2012	अशोक नागपाल	95500	50155	45345
3.	14.03.2012	अशोक नागपाल	40250	27944	12306
4	14.03.2012	अशोक नागपाल	30000	0	30000
5.	14.03.2012	अशोक नागपाल	20000	0	20000
6.	14.03.2012	अशोक नागपाल	10000	0	10000
7.	14.03.2012	अशोक नागपाल	8000	5500	2500
8.	14.03.2012	अशोक नागपाल	50000	50000	0
9.	14.03.2012	अशोक नागपाल	5000	1261	3739
10.	23.02.2012	अशोक नागपाल	10000	5810	4190
11.	14.03.2012	अशोक नागपाल	10000	5694	4306
12.	14.03.2012	अशोक नागपाल	3000	210	2790
13.	23.12.2011	अशोक नागपाल	10000	9788	217
14.	14.03.2012	अशोक नागपाल	13000	12750	250
15.	23.12.2011	अशोक नागपाल	6500	5500	1000
16.	14.03.2012	अशोक नागपाल	29916	20100	9816
17.	14.03.2012	अशोक नागपाल	50000	28595	2140

7.4 हमने पाया है कि अग्रिम राशि के कई मामलों में अपर्याप्त बजट अनुमान के साथ कर्मचारियों को अग्रिम राशि प्रदान की गयी है जिसमें कर्मचारियों ने अप्रयुक्त अग्रिम राशि को वापस कर दी जिसके कुछ मामलें निम्नलिखित है-

क्र.स.	अग्रिम राशि जारी करने के तिथि	चेक नं.	धनराशि	निम्न के पक्ष में	समायोजित राशि	प्रयुक्त प्रतिशत
1.	03.05.2011	540241	100000	अंशुमिता पांडेय	0	0.00
2.	01.09.2011	512741	6000	सीता राम शर्मा	759	12.00

क्र.स.	अग्रिम राशि जारी करने के तिथि	चेक नं.	धनराशि	निम्न के पक्ष में	समायोजित राशि	प्रयुक्त प्रतिशत
3.	22.06.2011	512358	50000	मीटिंग बोम	6970	13.00
4.	03.05.2011	540240	100000	रिक मुरा	15000	15.00
5.	16.05.2011	540378	60000	स्वयं (चयन समिति)	11321	19.00
6.	02.03.2012	521659	91200	अभिजीत बरदापरकर	18484	20.00
7.	23.09.2011	....	40000	अपराजिता भारगर्ह	10288	25.00
8.	13.04.2011	540109	209250	विनीता कौल	77961	32.00
9.	30.09.2011	516062	875	डॉ. जव्ये धर	327	37.00
10.	24.11.2011	516514	6000	सीता राम शर्मा	2287	.....
11.	13.03.2012	....	10000	सीता राम शर्मा	3875	
12.	30.12.2011	....	10000	सीता राम शर्मा	4211	
13.	05.01.2012	521711	15000	के. मामकोट्टम	6495	
14.	18.10.2011	516113	25000	सीता राम शर्मा	11040	
15.	10.02.2012	....	2700	अशोक नागपाल	3509	
16.	16.05.2011	540379	75000	स्वयं(चयन समिति)	34517	40.02
17.	27.05.2012	521214	6000	अशोक नागपाल	2980	49.67
18.	25.10.2011	516201	20000	एस.के. पुलिस्ट	10000	50.00
19.	06.06.2011	512087	80000	डीआर अकादमिक	40299	50.37
20.	20.07.2011	--------	8000	सीता राम शर्मा	4400	55.00
21.	07.04.2011	540028	25000	विनीता कौल	14089	56.36
22.	20.03.2012	--------	96800	मनीष जैन	54971	56.79
23.	28.06.2011	--------	512171	डीआर अकादमिक	28892	57.78
24.	27.12.2011	516949 व 516950	10000	अशोक नागपाल	5810	58.10

8. यह पाया गया है कि क्रय प्रक्रिया का पालन किए बिना गोदरेज के अधिकृत वितरक मेसर्स राजधानी फर्नीचर से वर्ष के दौरान रु. 27134027.00 धनराशि का फर्नीचर क्रय किया गया था।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.07.2012

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

भारत रतन डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय
द्वारका सेक्टर - 9, दिल्ली -110077

31.03.2012 को तुलन पत्र

देयताएं	अनुसूची	राशि रु. पै.	परिसंम्पत्तियां	अनुसूची	धनराशि रु. पै.
अवितरित अनुदान आय और व्यय खाते के अनुसार		72,570,177	स्थायी परिसंपत्तियां	II	98,768,042
			निवेश		8,467,512
वर्तमान उत्तरदायित्व और प्रावधान	I	15,997,077	चालू परिसंपत्तियां और ऋण और अग्रिम	III	80,099,742
पूंजीगत पूंजी		98,768,042			
कुल		**187,335,296**	**कुल**		**187,335,296**

स्थान: नई दिल्ली
तारीख :

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट संलग्न

श्याम बी. मेनन (कुलपति)
अंबेडकर विश्वविद्यालय

आशा आर रुंगटा (वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

भारत रतन डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय
द्वारका सेक्टर - 9, दिल्ली -110077

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का खाता

व्यय	अनुसूची	राशि रु. पै.	आय	अनुसूची	धनराशि रु. पै.
			पिछले वर्ष काअवितरित अनुदान		39,947,929
स्थयी परिसंपत्तियां	II	40,965,837			
प्रशासन लागत	IV (A)	123,764,293	प्राप्त अनुदान		182,123,975
अकादमी लागत	IV (B)	5,105,939			
			फार्म / प्रकाशन / निविदा डॉक आदि की बिक्री		685,570
			एयूडी ओवरहेड प्राप्तियां		727,789
अवितरित अनुदान C/O तुलन पत्र		72,570,177	कोर्स की फीस		17,262,315
			हॉस्टल फीस		743,910
			प्रवेश शुल्क		76,035
			विविध प्राप्तियां		97,229
			बैंक ब्याज		
			सावधि जमा पर ब्याज		6,641
			बचत खाते पर ब्याज		734,853
कुल		**242,406,246**	कुल		**242,406,246**

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट संलग्न

स्थान: नई दिल्ली
तारीख :

श्याम बी. मेनन (कुलपति)
अंबेडकर विश्वविद्यालय

आशा आर रूंगटा (वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय
द्वारका सेक्टर - 9, दिल्ली -110077

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का खाता

प्राप्तियां	अनुसूची	राशि रु. पै.	भुगतान	अनुसूची	धनराशि रु. पै.
प्रारंभिक कैश और बैंक बैलेंस		16,942,306	स्थायी परिसंपत्तियां	II	40,165,859
			निवेश		8,467,512
प्राप्त अनुदान		182,123,975	व्यवस्थापन लागत	IV (A)	112,344,677
मेस चार्जेस		21,847	अकादमी लागत	IV (B)	5,105,939
प्रवेश शुल्क		76,035	सीईसीईडी		4,269,804
हॉस्टल फीस		743,910	स्टाफ और अन्य को अग्रिम भुगतान	V	4,954,485
उचंत प्राप्ति		200,000	पिछले वर्ष की देनदारी		1,022,669
एयूडी ओवरहेड प्राप्तियां		600,013	का भुगतान		
विविध प्राप्तियां		97,229			
फार्म / प्रकाशन / निविदा सूचना की बिक्री		685,570			
पाठ्यक्रम फीस (शुद्ध वापसी आदि)		17,262,315			
जमानत राशि		953,000	जमा शेष		
सुरक्षा जमा राशि		234,105	कैश-इन-हैंड		23,775
बैंक ब्याज		734,853	बैंक राशि		44,320,438
कुल		**220,675,158**	**कुल**		**220,675,158**

स्थान: नई दिल्ली — **समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट संलग्न**

तारीख :

श्याम बी. मेनन (कुलपति)
अंबेडकर विश्वविद्यालय

आशा आर रूंगटा (वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

अंतिम खाते का भाग बनाने के लिए अनुसूची

अनुसूची I- वर्तमान देनदारियां और प्रावधान

विवरण	धनराशि
वर्तमान देनदारियां	
सुरक्षा जमा देय	603,780
विविध लेनदार	622,854
कर एवं शुल्क	43,162
जमानत राशि	1,627,000
देय मैस प्रभार	22,307
विविध प्राप्तियां	200,000
कर्मचारी देयताएं	9,177,177
प्रावधान	
देय लेखा शुल्क	173,690
व्यय भुगतान	3,527,107
कुल	**15,997,077**

अनुसूची -II स्थयी परिसंपत्तियां

विवरण	01.04.2011 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2012 को सकल ब्लॉक
	धनराशि रुपये	धनराशि रुपये	धनराशि रुपये
फर्नीचर और फिक्स्चर	29,685,290	29,413,884	59,099,174
कंप्यूटर सहायक उपकरण	17,538,478	5,209,260	22,747,738
दफ्तर के उपकरण	1,300,254	956,858	2,257,112
पुस्तकें	9,278,183	5,385,835	14,664,018
कुल	**57,802,205**	**40,965,837**	**98,768,042**
अग्रिम/अग्रदाय से खरीदी गई स्थायी परिसम्पत्तियां		177,124	
अचल सम्पत्तियां के लिए लेनदार		622,854	
नकद में खरीदी गई स्थायी परिसम्पत्तियां		**40,165,859**	

अनुसूची III - चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम

विवरण	धनराशि
भाग-ए, वर्तमान संपत्तियां	
कैश इन हैंड	23,775
बैंक राशि	44,320,438
कुल (ए)	44,344,213
भाग-बी, ऋण और अग्रिम	
विभाग कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी को अग्रिम	31,110,545
स्टाफ को अग्रिम	262,680
वसूली योग्य टीडीएस*	42,326
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम *	10,338
वसूली योग्य सीईसीईडी	4,269,804
अग्रदाय खाता	100,000
जमा टेलीफोन कनेक्शन	12,500
कुल (बी)	35,808,193
कुल (ए+बी)	80,152,406
*घटाएं: अपरिवर्तनीय शेष के लिए प्रावधान	52,664
कुल योग	**80,099,742**

अनुसूची IV (ए) - प्रशासन लागत

विवरण	धनराशि
सलाहकार / चयन समिति की बैठक	1,953,492
विज्ञापन और प्रचार	3,942,339
लेखा - परिक्षा शुल्क	168,540
बैंक प्रभार	16,174
विद्युत व्यय	2,592,815
किराये के वाहन	2,503,448
बागवानी	264,767
पत्रिकाओं / सामयिक / सदस्यता	5,283,936
चिकित्सा व्यय	1,327,435
बैठक व्यय (सांविधिक निकाय)	50,700
कार्यालय आकास्मिक	167,202
डाक और कूरियर	52,463
छपाई और लेखन सामग्री	2,195,669
जलपान और कैटरिंग (मनोरंजन)	251,111
मरम्मत और रखरखाव	207,189
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान	5,661,232
वेतन और विभिन्न नियोक्ता लागत	82,386,408
स्वच्छता	4,315,124
सुरक्षा व्यय	6,621,995
खेल उपकरण	16,128
विद्यार्थी / कर्मचारी कल्याण	5,000
छात्र स्वयंसेवक भुगतान	36,525
टेलीफोन और इंटरनेट व्यय	2,560,278
यात्रा भत्ता (विदेशी)	262,671
यात्रा भत्ता (घरेलू)	573,572
जल व्यय	295,416
अप्राप्य डेबिट बैलेंस	52,664
प्रशासन लागत में कमी - कुल (ए)	**123,764,293**
व्यय का भुगतान	3,527,107
एनपीएस कर्मचारी अंशदान	2,113,397
एनपीएस नियोक्ता का योगदान	2,288,125
देय छुट्टी वेतन	1,351,122
पेंशन अंशदान	2,021,985
कर्मचारी देयताएं	65,216
अप्राप्य डेबिट बैलेंस	52,664
कुल (बी)	11,419,616
भुगतान की गई प्रशासन लागत (ए-बी)	**112,344,677**

नुसूची IV (बी) - अकादमिक लागत

विवरण	धनराशि
सेमिनार / सम्मेलन / कार्यशालाएं / कार्य	*2,460,294*
अख़बार और समसामयिक	*63,296*
परीक्षा खर्च	*278,974*
छात्रवृत्ति	*1,376,000*
फील्ड आधारित शिक्षण / परियोजना कार्य	*573,811*
सहायक और विजिटिंग फैकल्टी	*353,564*
कुल	**5,105,939**

अनुसूची V- स्टाफ और अन्य को अग्रिम भुगतान

विवरण	धनराशि
सीपीडब्ल्यूडी के साथ अग्रिम	31,110,545
स्टाफ सदस्यों के साथ अग्रिम	262,680
आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम	10,338
स्टाफ के साथ अग्रदाय	100,000
जमा टेलीफोन कनेक्शन	12,500
कुल	31,496,063
घटाएं :	
सीपीडब्ल्यूडी के लिए अग्रिम	25,310,770
आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम	10,338
स्टाफ के साथ अग्रदाय	50,000
स्टाफ के लिए अग्रिम	1,162,970
जमा टेलीफोन कनेक्शन	7,500
कुल	26,541,578
नकद में दिया गया अग्रिम	**4,954,485**

This page has been Intentionally Left Blank

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2011–12

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), दिल्ली का कार्यालय
आई.पी. स्टेट, ए.जी.सी.आर. भवन, नई दिल्ली-110 002

सं. ई .एस/41-1/डॉ. बी.आर.ए.यू./ लेखा 2016-17/968 दिनांक : 15/12/2016

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय ,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
'बी' विंग द्वितीय तल,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली 1100-54

विषय : 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

महोदय,

मैं 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करता हूं। अनुरोध है कि विधानमंडल को लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति तिथि कृपया इस कार्यालय को सूचित की जाए। कृपया विधानमंडल में प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट की दो प्रतियां (अंग्रेजी तथा हिंदी प्रत्येक की) भी संदर्भ एवं अभिलेख हेतु प्रेषित की जाए।

कृपया प्रमाणित लेखा तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने तक इन्हें ''गोपनीय'' समझा जाए।

कृपया इसकी पावती दें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(राजेश राजन)

वरि. उप महालेखाकार(ई.एस)

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

सं. ई.एस./41-1/ डॉ. बीआरएयू/ लेखा/ 2016-17/968 दिनांक : 15/12/216

पृथक लेखापरीक्षा की प्रतिया सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की जाती हैं :

1. कुलसचिव, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली – इस कार्यालय को प्रमाणित लेखा के हिंदी पाठ की 5 प्रतियां भेजने के अनुरोध सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (एनआर), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124 - उनके दिनांक 06/12/2016 के पत्र सं. 564/उत्तरी क्षेत्र सेक्शन/एसएआर/एयूडी/156-2015 के संदर्भ सहित।

उप महालेखाकार(एस.एस.ए.)

वर्ष 2011-12 हेतु भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(रिपोर्ट)

हमने 31 मार्च, 2012 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के खंड 19(3) के अंतर्गत उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के संलग्न तुलन-पत्र, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय लेखा की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के प्रबंधन की है। हमारी जवाबदेही हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मसौदा में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखा प्रयोगों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों इत्यादि के संबंध में लेखा परीक्षण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी.ए.जी.) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों(औचित्य और नियमनिष्ठा) एवं कार्यकुशलता-सह-प्रदर्शन पहलुओं इत्यादि के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन संव्यवहारों लेखापरीक्षा टिपपणियां, यदि कोई हो, तो जांच रिपोर्ट/सी.ए.जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक रूप से सूचित की जाती हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से अपेक्षा है कि हम वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष अयथार्थता से मुक्त होने के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है। एक लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से प्रतिपादन का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए एक सार्थक आधार प्रदान करती है।

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी लेखापरीक्षा हेतु यथासंभव हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा स्वीकृत सिद्धांतों तथा परिपाटी(कन्वेंशन्स) के अनुसार तैयार नहीं किए गए हैं।

iii. हमारी राय में, विश्वविद्यालय द्वारा उचित खाता बही और अन्य संबंधित अभिलेखों (रिकार्ड्स) को विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किया गया है जहां तक ऐसे खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv. इसके अलावा हम सूचित करते हैं :

तुलन पत्र

1. देयताएं

चालू देयताएं एवं प्रावधान(शेड्यूल-1) – रु. 159.97 लाख

दिनांक 31.03.2012 के अनुसार उपर्युक्त में रु. 3.78 करोड़ के अव्ययित सहायता अनुदान को शामिल नहीं किया गया है जिसे जीएनसीटीडी को वापस किया जाना था। जिसके परिणामस्वरूप रु. 3.78 करोड़ की चालू देयताएं एवं प्रावधान में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेट्मेंट) तथा आय एवं व्यय लेखा के अनुसार अवितरित अनुदान की अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) हुई है।

2. परिसंपत्तियां

निवेश – रु. 84.67 लाख

उपर्युक्त में रु. 84.67 लाख की एफडीआर धनराशि को गलत ढंग से शामिल किया गया है, जो नयी पेंशन योजना तथा वेतन एवं वर्ष 2012-13 हेतु देय छुट्टी वेतन एवं पेंशन की निधि है। जिसके परिणामस्वरूप रु. 84.67 लाख की निवेश में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) तथा चालू परिसंपत्तियों और ऋण तथा अग्रिम के तहत बैंक बैलेंस की न्यूनोक्ति(अंडरस्टेट्मेंट) हुई है।

बी. **आय एवं व्यय लेखा**

1. आय

(i) पिछले वर्ष से अग्रनयन अवितरित अनुदान – रु. 399.47 लाख

आय एवं व्यय लेखा में लेखाकरण अवधि के दौरान केवल अर्जित आय तथा वहन व्यय निहित होते हैं और किसी शीर्ष के आरंभिक लेखा में नहीं दर्शाए जाने चाहिए। तथापि, वर्ष 2011-12 हेतु आय एवं व्यय लेखा में पिछले वर्ष से अग्रनयन रु.399.47 की अवितरित धनराशि को आय की तरफ आरंभिक शेष के रूप दर्शाया गया है। इस गलत प्रविष्टि के परिणामस्वरूप रु.399.47 लाख की वर्ष 2011-12 हेतु आय की अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) हुई है जो आमतौर पर स्वीकार्य लेखा पद्धति का उल्लंघन भी था।

(ii) प्राप्त अनुदान रु.1821.24 लाख

(क) लेखांकन नीति संख्या 4 – अनुदान हेतु लेखांकन के अनुसार, व्यय हेतु प्राप्त अनुदान को प्राप्ति वर्ष में आय के रूप में माना जाता है। तथापि, वर्ष 2011-12 के दौरान, विश्वविद्यालय को जीएनसीटीडी रु.2 लाख प्राप्त हुए जिसे चालू देयताओं एवं प्रावधानों के तहत उचंत(सस्पेंस) प्राप्ति दर्शाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप रु.2 लाख की प्राप्त अनुदान में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेट्मेंट) तथा चालू देयताओं एवं प्रावधानों में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) हुई है। तुलनपत्र में अग्रनयन अवितरित अनुदान के समतुल्य धनराशि भी दर्शायी गई है।

(ख) उपर्युक्त में परियोजना/अनुसंधान कार्य हेतु विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त रु.21.24 लाख शामिल हैं और उसे तुलनपत्र में परियोजना निधि के तहत अलग से दर्शाया जाना चाहिए। प्राप्त अनुदान के रूप में धनराशि का गलत चित्रण के परिणामस्वरूप रु.21.24 लाख की प्राप्त अनुदान(आय शीर्ष) में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) तथा तुलनपत्र में अग्रनयन अवितरित धनराशि में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

2. व्यय

(i) प्रशासनिक लागत (शेड्यूल-IVए)- रु.1237.64 लाख

उपर्युक्त में जर्नल/पीरियॉडिकल्स/अंशदान पर व्यय किए गए रु.43.33 लाख की धनराशि शामिल हैं जो वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित है। जिसके परिणामस्वरूप रु.43.33 लाख की प्रशासनिक लागत में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) और इतनी ही राशि की चालू परिसंपत्तियां एवं ऋण तथा अग्रिमों(प्रीपेड खर्च) में न्यूनोक्ति हुई है। रु.43.33 लाख की तुलनपत्र में अग्रनयन अवितरित अनुदान में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

सी. आय एवं व्यय लेखा

प्राप्ति की तरफ

वर्ष 2011-12 के दौरान विश्वविद्यालय को रु.87.76 लाख की धनराशि प्राप्त हुई और सीईसीईडी हेतु रु.125.39 लाख का व्यय का वहन किया गया। विश्वविद्यालय ने प्राप्ति एवं भुगतान खाता में प्राप्ति एवं व्यय को अलग-अलग दर्शाने के बजाए भुगतान साइड के अंतर्गत रु.42.70 लाख की धनराशि शेष के रूप में दर्शाया है जो आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों/प्रैक्टिस का उल्लंघन था।

डी. सामान्य

(i) विशेषकर परिभाषित प्रयोजनों के लिए प्राप्त निधियों को उद्दिष्ट/अक्षय निधियों के शीर्ष के तहत दर्शाया जाना है साथ ही वर्ष के दौरान वहन किए गए व्यय को दर्शाना है। तथापि, सभी विद्यार्थियों से प्रति सेमेस्टर @ 500 और विश्वविद्यालय के अंशदान से संग्रहित छात्र कल्याण निधि, सीईसीईडी तथा पूंजीगत अनुदान हेतु संग्रहित निधियों को आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन प्रैक्टिस के अनुसार तुलनपत्र में अलग से दर्शाया नहीं गया है।

(ii) वर्ष 2011-12 के दौरान विश्वविद्यालय को राजस्व शीर्ष के तहत सहायता अनुदान के रूप में रु.17 करोड़ तथा पूंजीगत शीर्ष के तहत रु.1 करोड़ प्राप्त हुआ। राजस्व शीर्ष के तहत सहायता अनुदान की दूसरी किस्त जारी करते समय उच्च शिक्षा विभाग, जीएनसीटीडी ने पिछले वर्ष के अव्ययित शेष रु. 3.25 करोड़ का उपयोग करने की अनुमति दी थी। तथापि, वर्ष 2011-12 हेतु उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते समय विश्वविद्यालय अव्ययित शेष के रूप में रु.1.25 करोड़ दर्शाया और रु. 2.00 करोड़ हेतु उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा। जिसकी अनुपस्थिति में लेखा पर इसके परिणामी प्रभावस्वरूप लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

(iii) लेखांकन मानक 12 वित्तीय विवरणों में विशिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों की प्रस्तुति के दो तरीकों का उल्लेख करता है। अनुदान को अपने बुक वेल्यु पर पहुंचने में संबंधित परिसंपत्ति के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दर्शाया है। वैकल्पिक रूप से मूल्यह्रास परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को आस्थगित(डेफेरेड) आय के रूप में माना जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है और गैर-मूल्यह्रास परिसंपत्तियों संबंधी अनुदानों को पूंजीगत रिजर्व के लिए क्रेडिट किया जाता है। वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने रु. 409.66 लाख की स्थायी परिसंपत्तियां क्रय की और इसे आय एवं व्यय लेखा में व्यय के रूप में प्रभारित किया। इसके साथ ही क्रय की गई स्थायी परिसंपत्तियों को लागत पर तुलनपत्र में भी दर्शाया जाता है। सहायता अनुदान से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियों का लेखांकन एवं अंगीकार लेखांकन नीति लेखांकन सिद्धांत -12 के अनुरूप नहीं है।

(iv) कर्मचारी लाभ, देय उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण इत्यादि के लिए देयता के बीमांकिक मूल्यांकन का प्रावधान वर्ष 2011-12 तक नहीं किया गया।

(v) विश्वविद्यालय ने तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में पिछले वर्ष के आकड़ें/शेष को नहीं दर्शाया है जिसकी अनुपस्थिति में पिछले वर्ष से अग्रनयन शेष को सत्यापित नहीं किया जा सका।

ई. वर्ष 2011-12 के दौरान विश्वविद्यालय ने रा.रा.क्षे.दि.स. से रु.18.02 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया और पिछले वर्ष के रु.3.25 करोड़ के अव्ययित सहायता अनुदान को धारित करने की अनुमति दी गई थी। विश्वविद्यालय ने कहा (अगस्त 2016) कि उसने वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक उ.शि.नि. के लिए पहले जारी किए गए अपने यू.सी. को परिशोधित कर लिया है, यह धनराशि वर्ष के दौरान उपलब्ध अनुदान से उपयोग की गई और अव्ययित अनुदान का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ्स में हमारे अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा खातों की पुस्तकों के साथ मेल नहीं खाते हैं।

vi. हमारी राय में एवं हमारी सबसे अच्छी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ पठित लेखांकन नीतियां और नोट्स टू अकाउंटस, और उपर्युक्त बकाया महत्त्पूर्ण मामलों, और इस रिपोर्ट के संलग्नक में दर्शाए गए अन्य मामले भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं सही दृश्य प्रसतुत नहीं करते हैं :

क) जहां तक यह 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कार्यों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबधित है, और

ख) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तुलनपत्र में अग्रनयन अवितरित अनुदान से संबंधित है।

हस्ता./-

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 15/12/2016

संलग्नक

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** – वर्ष 2011-12 हेतु विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** – विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि पाया गया कि प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. को भेजे गए उपयोग प्रमाण पत्र ठीक नहीं थे और समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

3. **स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली-** वर्ष 2011-12 हेतु स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

4. **सावधिक जमा प्राप्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** – समाप्त वर्ष में एफडीआर के प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किए गए थे।

5. **सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता** - संस्थान द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान निर्धारित समय के भीतर विश्वविद्यालय ने सांविधिक देय राशि का भुगतान किया।

This page has been Intentionally Left Blank

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2011–12 पर पैरा वार कार्यवाही

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विश्वविद्यालय की कार्रवाई

2011-12

क्रमांक	लेखापरीक्षा टिप्पणियां	जवाब
1.	**देयताएं** **चालू देयताएं एवं प्रावधान(शेड्यूल 1) – रु. 159.97 लाख** दिनांक 31.03.2012 के अनुसार उपर्युक्त में रु. 3.78 करोड़ के अव्ययित सहायता अनुदान को शामिल नहीं जाता है जिसे जीएनसीटीडी को वापस किया जाना था। जिसके परिणामस्वरूप रु. 3.78 करोड़ की चालू देयताएं एवं प्रावधान में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेट्मेंट) तथा आय एवं व्यय लेखा के अनुसार अवितरित अनुदान की अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) हुई है।	अनुदान को आय के रूप में लिया गया था और इस प्रकार अव्ययित अनुदान की धनराशि को चालू देयताओं में शामिल नहीं किया गया था । सही स्पष्टीकरण के तहत आवश्यक प्रविष्टियां देयताओं के रूप में अव्ययित अनुदान समझी गई जो फाइनल लेखा 2015-16 से प्रभावी हुई। वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक परिशोधित यू.सी. तैयार किया गया और उ.शि.नि. को प्रस्तुत किया गया तथा निधि की शेष धनराशि/अधिकता को वर्ष 2015-16 के अव्ययित अनुदान सहित चालू देयताओं के तहत लिया गया है।
2.	**निवेश – रु.84.67 लाख** उपर्युक्त में रु. 84.67 लाख की एफडीआर धनराशि को गलत ढंग से शामिल किया जाता है, जो नयी पेंशन योजना तथा वेतन एवं वर्ष 2012-13 हेतु देय छुट्टी वेतन एवं पेंशन की निधि है । जिसके	कृपया अनुपालन हेतु टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और इस संबंध में सुधारात्मक उपाय किए गए हैं

	परिणामस्वरूप रु. 84.67 लाख की निवेश में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) तथा चालू परिसंपत्तियों और ऋण तथा अग्रिम के तहत बैंक बैलेंस की न्यूनोक्ति(अंडरस्टेट्मेंट) हुई है।	। वित्तीय वर्ष 2015-16 से सा.ज.प्रा. को तुलनपत्र में बैंक बैलेंस के तहत सही तरह से दर्शाया गया है।
बी .	**आय एवं व्यय लेखा**	
	1. आय **(i) पिछले वर्ष से अग्रनयन अवितरित अनुदान – रु. 399.47 लाख** आय एवं व्यय लेखा में लेखाकरण अवधि के दौरान केवल अर्जित आय तथा वहन व्यय निहित होते हैं और किसी शीर्ष के आरंभिक लेखा में नहीं दर्शाए जाने चाहिए। तथापि, वर्ष 2011-12 हेतु आय एवं व्यय लेखा में पिछले वर्ष से अग्रनयन रु.399.47 की अवितरित धनराशि को आय की तरफ आरंभिक शेष के रूप दर्शाया गया है। इस गलत प्रविष्टि के परिणामस्वरूप रु.399.47 लाख की वर्ष 2011-12 हेतु आय की अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) हुई है जो आमतौर पर स्वीकार्य लेखा पद्धति का उल्लंघन भी था।	आवश्यक प्रविष्टियां देयताओं को सही वर्गीकरण के अंतर्गत अव्ययित अनुदान को देयताओं के रूप में वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रभावी किया गया है।
9	**(ii) प्राप्त अनुदान रु.1821.24 लाख** (क) लेखांकन नीति संख्या 4 – अनुदान हेतु लेखांकन के अनुसार, व्यय हेतु प्राप्त अनुदान को प्राप्ति वर्ष में आय के रूप में माना जाता है। तथापि, वर्ष 2011-12 के दौरान, विश्वविद्यालय को जीएनसीटीडी रु.2 लाख प्राप्त हुए जिसे चालू देयताओं एवं प्रावधानों के तहत उचंत(सस्पेंस) प्राप्ति दर्शाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप रु.2 लाख की प्राप्त अनुदान में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेट्मेंट) तथा चालू देयताओं एवं प्रावधानों में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) हुई है। तुलनपत्र में अग्रनयन अवितरित अनुदान के समतुल्य धनराशि भी दर्शायी गई है।	गलती हुई थी और जिसे दिनांक 01.04.2012 के वाउचर संख्या 5 द्वारा सुधार लिया गया था।
	(ख) उपर्युक्त में परियोजना/अनुसंधान कार्य हेतु विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त रु.21.24 लाख शामिल हैं और उसे तुलनपत्र में परियोजना निधि के तहत अलग से दर्शाया जाना चाहिए। प्राप्त अनुदान के रूप में	विभिन्न परियोजनाओ हेतु रु.21.24 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जो गलती से सहायता अनुदान के साथ जुड़

	धनराशि का गलत चित्रण के परिणामस्वरूप रु.21.24 लाख की प्राप्त अनुदान(आय शीर्ष) में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) तथा तुलनपत्र में अग्रनयन अवितरित धनराशि में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।	गई थी। फाइनल खाता तैयार करते समय यह गलती से सहायता अनुदान के साथ जुड़ गई थी । बही खाता(लेजर) की प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है। परिशोधित यूसी में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त अनुदान की धनराशि सही रूप में रु.18 करोड़ दर्शायी गई है। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने सुधारात्मक कदम उठाया है।
2.	व्यय	
	(i) प्रशासनिक लागत (शेड्यूल-ए)- रु.1237.64 लाख	
	उपर्युक्त में जर्नल/पीरियॉडिकल्स/अंशदान पर व्यय किए गए रु.43.33 लाख की धनराशि शामिल हैं जो वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित है। जिसके परिणामस्वरूप रु.43.33 लाख की प्रशासनिक लागत में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) और इतनी ही राशि की चालू परिसंपत्तियां एवं ऋण तथा अग्रिमों(प्रीपेड खर्च) में न्यूनोक्ति हुई है। रु.43.33 लाख की तुलनपत्र में अग्रनयन अवितरित अनुदान में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।	विश्वविद्यालय ने जर्नल/पीरियॉडिकल्स/अंशदानों पर व्यय को एकाडेमिक व्यय समझ लिया था और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक लागत के साथ जोड़ दिया। लेखापरीक्षा के अवलोकन को नोट कर लिया गया है और वर्ष 2016-17 के लेखा से अनुपालन किया जाएगा।
सी.	**प्राप्ति एवं भुगतान लेखा**	
10.	**प्राप्ति की तरफ** वर्ष 2011-12 के दौरान विश्वविद्यालय को रु.87.76 लाख की धनराशि प्राप्त हुई और सीईसीईडी हेतु रु.125.39 लाख का व्यय का वहन किया गया। विश्वविद्यालय ने प्राप्ति एवं भुगतान खाता में प्राप्ति एवं व्यय को अलग-अलग दर्शाने के बजाए भुगतान साइड के अंतर्गत रु.42.70 लाख की धनराशि शेष के	लेखापरीक्षा के अवलोकन को नोट कर लिया गया है और वर्ष 2016-17 के लेखा से अनुपालन किया जाएगा।

	रूप में दर्शाया है जो आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों/प्रैक्टिस का उल्लंघन था।	
घ.	सामान्य	
	(i) विशेषकर परिभाषित प्रयोजनों के लिए प्राप्त निधियों को उद्दिष्ट/अक्षय निधियों के शीर्ष के तहत दर्शाना जाना है साथ ही वर्ष के दौरान वहन किए गए व्यय को दर्शाना है। तथापि, सभी विद्यार्थियों से प्रति सेमेस्टर @ 500 और विश्वविद्यालय के अंशदान से संग्रहित छात्र कल्याण निधि, सीईसीईडी तथा पूंजीगत अनुदान हेतु संग्रहित निधियों को आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन प्रैक्टिस के अनुसार तुलनपत्र में अलग से दर्शाया नहीं गया है।	वर्ष 2015-16 के लेखा में अनुपालन किया गया।
	(ii) वर्ष 2011-12 के दौरान विश्वविद्यालय को राजस्व शीर्ष के तहत सहायता अनुदान के रूप में रु.17 करोड़ तथा पूंजीगत शीर्ष के तहत रु.1 करोड़ प्राप्त हुआ। राजस्व शीर्ष के तहत सहायता अनुदान की दूसरी किस्त जारी करते समय उच्च शिक्षा विभाग, जीएनसीटीडी ने पिछले वर्ष के अव्ययित शेष रु. 3.25 करोड़ का उपयोग करने की अनुमति दी थी। तथापि, वर्ष 2011-12 हेतु उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते समय विश्वविद्यालय अव्ययित शेष के रूप में रु.1.25 करोड़ दर्शाया और रु. 2.00 करोड़ हेतु उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा। जिसकी अनुपस्थिति में लेखा पर इसके परिणामी प्रभावस्वरूप लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।	विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए उपयोग प्रमाणपत्र परिशोधित कर लिया है(प्रति संलग्न) अब व्यय और उपयोग की गई निधियों के सही आंकड़े उ.शि.नि. को प्रस्तुत यू.सी. में प्रदर्शित हैं।
	(iii) लेखांकन मानक 12 वित्तीय विवरणों में विशिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों की प्रस्तुति के दो तरीकों का उल्लेख करता है। अनुदान को अपने बुक वेल्यु पर पहुंचने में संबंधित परिसंपत्ति के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दर्शाया है। वैकल्पिक रूप से मूल्यह्रास परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को आस्थगित(डेफेरेड) आय के रूप में माना जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है और गैर-मूल्यह्रास परिसंपत्तियों संबंधी अनुदानों को पूंजीगत रिजर्व के लिए क्रेडिट किया जाता है। वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने रु. 409.66 लाख की स्थायी परिसंपत्तियां क्रय की और इसे आय एवं व्यय लेखा में व्यय के रूप में प्रभारित किया। इसके साथ ही क्रय की गई स्थायी परिसंपत्तियों को लागत पर तुलनपत्र में भी दर्शाया जाता है। सहायता अनुदान से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियों हेतु अंगीकार उपचार एवं	अ.वि.वि.दि. ने वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं और मूल्यह्रास भी प्रभारित किए गए।

	लेखांकन नीति एएस-12 के अनुरूप नहीं है।	
	(iv) कर्मचारी लाभ, देय उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण इत्यादि के लिए देयता का बीमांकिक मूल्यांकन वर्ष 2011-12 तक प्रदान नहीं किया गया है।	वित्तीय वर्ष से विश्वविद्यालय ने कर्मचारी लाभ, देय उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण इत्यादि के लिए देयता का बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रावधान करना शुरू कर दिया है।
	(v) विश्वविद्यालय ने तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में पिछले वर्ष के आकड़ें/शेष को दर्शाया नहीं है जिसकी अनुपस्थिति में पिछले वर्ष से अग्रनयन शेष को सत्यापित नहीं किया जा सका।	वित्तीय वर्ष 2015-16 से विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष के शेष को भी दर्शाया है।
ई.	वर्ष 2011-12 के दौरान विश्वविद्यालय ने जीएनसीटीडी से रु.18.02 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया और पिछले वर्ष के रु.3.25 करोड़ के अव्ययित सहायता अनुदान को धारित करने की अनुमति दी गई थी। विश्वविद्यालय ने कहा (अगस्त 2016) कि उसने वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक डीएचई के लिए पहले जारी किए गए अपने यू.सी. को परिशोधित कर लिया है, यह धनराशि वर्ष के दौरान उपलब्ध अनुदान से उपयोग की गई और अव्ययित अनुदान का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।	विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए उपयोग प्रमाणपत्र परिशोधित कर लिए हैं(प्रति संलग्न) अब व्यय तथा उपयोग निधियों के सही आंकड़ें उ.शि.नि. के लिए प्रस्तुत यू.सी. में दर्शाए हैं।
	v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ्स में हमारे अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा खातों की पुस्तकों के साथ समझौते(एग्रीमेंट) में नहीं हैं।	
	vi. हमारी राय में एवं हमारी सबसे अच्छी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ पठित लेखांकन नीतियां और नोट्स टू अकाउंटस, और उपर्युक्त बकाया महत्त्पूर्ण मामलों, और इस रिपोर्ट के संलग्नक में दर्शाए गए अन्य मामले भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन	

	सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं देते हैं :	
	क. जहां तक यह 31 मार्च, 2012 को भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के मामलों के तुलनपत्र संबंधित है ;	
	ख. जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तुलनपत्र में अग्रनयन अवितरित अनुदान से संबंधित है।	

This page has been Intentionally Left Blank